रुपये TWENTY RUPEES

[illegible]

(65)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015

प्रस्तुत 4/1/16.

4/1/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर के

खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष

निग - 39 - PBR - 16

1. **श्रीमती नियामत बी बेवा यासीन**
   निवासी – ग्राम बिलोदा नायता तहसील सांवेर
   जिला इन्दौर (म.प्र.)
2. **इरशाद पिता यासीन**
   निवासी – ग्राम बिलोदा नायता तहसील सांवेर
   जिला इन्दौर (म.प्र.)

... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. **ईस्लाम पिता यासीन**
2. **एहसान पिता यासीन**
3. **बानो बी बेवा यासीन**
   तीनो निवासी – ग्राम बिलोदा नायता तहसील सांवेर
   जिला इन्दौर (म.प्र.)
4. **शकीला पति यासीन (पति अय्युब)**
   निवासी – ग्राम बलघारा तहसील सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)
5. **बबीता पिता यासीन (पति अंसार)**
   निवासी – ग्राम खजराना तालाब वाला रोड, इन्दौर (म.प्र.)
6. **अफिशा पिता यासीन (पति असफाक)**
   निवासी – तालाब वाला रोड, खजराना, इन्दौर (म.प्र.)

... रेस्पोडेण्टस् / प्रतिप्रार्थीगण

... 2 पर

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सांवेर द्वारा पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 3 / 15–16 मे पारित आदेश दिनांक 30 / 12 / 2015 को राजस्व प्रकरण क्रमांक 20 / अ–27 / 1992–93 मे पारित आदेश दिनांक 18 / 06 / 1993 (यासीन पिता रेहमत अली विरूद्ध इरशाद पिता यासीन वगैरह) मे बंटवारा स्वीकृत किए जाने बाबद पारित किए गए आदेश को पुर्नविलोकित किये जाने बाबद आदेश पारित किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर निम्नांकित व अन्य आधारो पर सदर निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 39/पीबीआर/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के आदेश दि. 30.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को उनके न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 20/अ-27/92-93 पारित आदेश दिनांक 18.06.93 के पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान की गई है। 2/ आवेदकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुस्लिम विधि के तहत भूमिस्वामी अपने भूमिस्वामी स्वत्वाधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का अपनी जीवित अवस्था में भी हिबा के द्वारा नामांतरण एवं बंटवारा कर सकता है। इस आधार पर कहा गया कि मृतक भूमिस्वामी यासीन पिता रहमत अली ने आवेदकगण के पक्ष में प्रकरण क्रमांक 20/अ-27/92-93, दिनांक 18.03.1993 द्वारा विधिक रूप से बंटवारा किया था, जो अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 की जानकारी में भी था। यह भी कहा गया कि प्रकरण में व्यक्तिगत पक्षकारों के मध्य के विवाद है, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय बाहय लगभग 22 वर्ष पश्चात् विधि सम्मत स्वीकृत बंटवारे को पुर्नविलोकन किए जाने की अनुमति देने में अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। 3/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/अ-27/92-93 पारित आदेश दिनांक 18.06.1993 में अनियमितता पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी से पुर्नविलोकन की अनुमति चाही गई थी, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से तहसीलदार को पुर्नविलोकन की अनुमति दी गई। इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्नविलोकन की अनुमति देने में कोई भूल नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है। 4/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत आदेश पारित किया है। वर्ष 1993 से संहिता में भूमिस्वामी के जीवित रहते बंटवारे का आधार नहीं था। अत: तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/अ-27/92-93 पारित आदेश दिनांक 18.06.1993 प्रथम दृष्टया अवैधानिक एवं अधिकारविहीन था। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में पुर्नविलोकन के ठोस एवं पर्याप्त आधार होने से तहसील न्यायालय को पुर्नविलोकन में लेने की सही अनुमति दी है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है। **अध्यक्ष**	